न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/82/18	02-07-2018	24-10-2018

01. सुमेर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत परतापुर तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 23-02-2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1640/2015

उपस्थितः-

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

--:: निर्णय ::--

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 23-02-2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1640/2012 निलंबित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी अलवर का प्राधिकार निलम्बर आदेश केवल 90 दिन तक प्रभावी रहता है। दिनांक 22.5.2018 तक भी अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नहीं करेगें। अपीलान्ट ग्राम पंचायत परतापुर तहसील नीमराना में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत परतापुर में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 1640/2012 है जो वर्ष 2012 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.2.2018 जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री यथा गेहूँ, केरोसीन व चीनी का स्टॉक पूरा था। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट पर स्टॉक का अंकन था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र व दुकान के नक्शा मांगने पर वक्त जांच पेश किया था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वक्त जांच मौके पर उपस्थित लोगों के फर्द मौका पर हस्ताक्षर कराये गये थे और कुछ उपभोक्ताओं यथा रामानन्द पुत्र उदयसिंह यादव व विक्रमानन्द पुत्र महेन्द्र सिंह के बयान लिये थे

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

जिनकी कोई शिकायत नही रही है, जिससे स्पस्ट है कि केवल प्रकरण बनाने के लिए उद्देश्य से जिला रसद अधिकारी के यहां जांच रिपोर्ट मिथ्या तथ्यों पर राजनैतिक दबाव के चलते पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी नोटिस संख्या 2925 दिनांक 14.3.2018 को अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था, जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब दिनांक 16.3.2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप विरचित किये गये थे वो गंभरी प्रकृति के नही थे। प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहान हो जाना चाहिये था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है, इस बाबत श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02–09–2008 एवं 07–07–2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नही किया गया है। Raj. Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. Of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 क्लॉज 2 के अनुसार " No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonanble opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of station his case." अपीलान्ट ने बीपीएल वर्ग के गरीब उपभोक्ता को माह फरवरी 2018 का गेहूँ का वितरण किया गया था, इस वजह से गेहूँ स्टॉक में कम था–फरवरी 2018 में सर्वर डाउन होने के कारण पोस मशीन से गेहूँ का ट्रांजेक्शन ऑनलाईन नही हो सका था, जिस वजह से स्टॉक में गेहूँ कम हो गया और माह मार्च 2018 में उपभोक्ता गेहूं लेने आते तब उनका दो माह का ट्रांजेक्शन एक साथ ही कर दिया जाता जिसमें अपीलान्ट की कोई बदयान्ति नहीं रही है। अपीलान्ट के विरूद्व आपसी रंजिशवंश की गई है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नही है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट को जो नोटिस दिया उसका जबाव पेश कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। दिनांक 22.5.2018 तक अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नही किया गया है दिनांक 11.6.2018 को जिला रसद अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नही करेगें जिस कारण से आलौच्य आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

23.2.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 23.2.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। दुकान के नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची एवं स्टॉक का प्रदर्शन नही पाया गया, वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार का भौतिक सत्यापन किया गया, माह फरवरी–18 हेतु 27.1.18 के बिल से दुकानदार के पास पहुचाये गये लेकिन माह फरवरी–18 में 3.35 क्वि. गेहूँ वितरण के बाद 9.57 क्वि. में से 6.22 क्वि. गेहूँ स्टॉक रहना चाहिए लेकिन मौके पर स्टॉक शून्य मिला– इस प्रकार 6.22 क्वि. गेहूँ कम मिलें, केरोसीन का सत्यापन करने पर 120 लीटर कम मिला। मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जिस पर मौजूदा व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गयें। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है, प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। जांच के दौरान स्थिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.2.2018 के विरूद्व दिनांक 26.6.2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 11.6.2018 होना जाहिर किया है। रैस्पा0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेंश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हों। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाता है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभरी प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 23.2.2018 को निलंबित किया और अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.3.2018 को जबाव नोटिस तहत अदालत में पेंश किया गया, किन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के जबाव नोटिस पर गौर नहीं करते हुए प्रकरण को जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र की जांच को अनावश्यक विलम्ब रखा गया, साथ ही प्राधिकार पत्र के निलम्बर को 90 दिन से अधिक हो चुका है।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर किया जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner